

फर्द अहकाम

शुक्रपाल सिंह

बनाम मदन सिंह

नाम न्यायालय

केस संख्या

312/17 RCM SMO-2017/00270

विशेष विवरण

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

20/2/18


पञ्जाबली पेय ड्रिं / अभिवक्ता
 उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस हुनी
 गई। अभिवक्ता रैफोर्स. 1 ने अपील
 स्वीकार कर रिमाण्ड करे के अपनी
 सहमति दी। अतः अभिवक्ता उभयपक्ष
 की सहमति के अपील अपीलार् स्वीकार
 की जाती है तथा अपीलार्-मापलय
 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवादी का अपीलार्
 आदेश दिनांक 04/7/16 को गिरफ्त किया
 जाता है तथा प्रकरण अपीलार्-मापलय
 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवादी के इस निर्देश
 के साथ प्रतिक्रिया किया जाता है कि
 प्रकरण के उभयपक्ष को साक्ष्य, सट्टन, दखीकानत
 प्रस्तुत करे की तथा शुक्रवादी का समुचित
 अवसर देने हुए फुल विधि सम्मन
 निर्णय पारित कर। पञ्जाबली फेरल
 शुक्रा धेकर नम्बर से कह रहे तथा
 काद तम्मील जाफा दाखिल दफ्तर
 है। आदेश बुनापा जमा 20/2/18

No. objection
 for Remand
 & Appeal
 Accept

Singh

(पुरेशाण सिंह)

Mir
 Singh



संभागीय आयुक्त
 जयपुर